



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072026-274211  
CG-DL-E-07072026-274211

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 509]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 567(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खान (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 में, खंड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घक) ‘उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज’ से ऐसा क्वार्ट्ज अभिप्रेत है जिसमें  $\text{SiO}_2$  की मात्रा 99.99 प्रतिशत से अधिक हो तथा कुल अशुद्धियाँ 50 पीपीएम से कम हों;”।

3. उक्त नियम की, अनुसूची-1 के भाग-3 की, सारणी में “भंडार के प्रकार तथा प्रमुख खनिज” शीर्षक वाले स्तम्भ के अधीन,—

(i) “III. रत्न : बेरिल, पुखराज, पन्ना निक्षेप, हीरा, कार्बोनेटाइट में फ्लुओराइट की पॉकेट/लेंस/वेंस आदि;” अक्षरों और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अक्षर, कोष्ठक और शब्द रखे किए जाएंगे, अर्थात् :—

“III. (क) रत्न: बेरिल, पुखराज, पन्ना निक्षेप, हीरा, कार्बोनेटाइट में फ्लुओराइट की पॉकेट/लेंस/ वेंस आदि;

(ख) वेंस और पेग्माटाइट्स में पाए जाने वाले क्वार्ट्ज, फेल्स्पार और अभ्रक, जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिजों अथवा अधिनियम की सप्तम अनुसूची के खनिजों अथवा उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज से संबद्ध नहीं हैं;”।

(ii) “IIIक. पेग्माटाइट्स , रीफ्स तथा वेंस/पाइपों में पाए जाने वाले दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई)” अक्षरों, शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित अक्षर, शब्द और कोष्ठक रखे किए जाएंगे, अर्थात् :—

“IIIक. (क) पेग्माटाइट्स, रीफ्स तथा वेंस/पाइपों में पाए जाने वाले दुर्लभ धातु और दुर्लभ मृदा तत्व (आरईई);

(ख) वेंस तथा पेग्माटाइट्स में पाए जाने वाले क्वार्ट्ज, फेल्स्पार और अभ्रक, जो अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिजों अथवा अधिनियम की सप्तम अनुसूची के खनिजों अथवा उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज से संबद्ध हों।”।

4. उक्त नियम की, अनुसूची-2 में, क्रं सं 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

“2. क्वार्ट्ज, फेल्स्पार, अभ्रक	पॉकेट, लेंस, वेंस तथा पेग्माटाइट्स और अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट खनिजों अथवा अधिनियम की सप्तम अनुसूची के खनिजों अथवा उच्च शुद्धता क्वार्ट्ज से संबद्ध नहीं।”
------------------------------------	---

[फा. सं. 16/118/2025-खान VI]

कुलवीर सिंह यादव, संयुक्त सचिव

टिप्पण:— मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 304(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधन किए गए :—

1. सा.का.नि. 421(अ), तारीख 18 जून, 2021;
2. सा.का.नि. 856(अ), तारीख 14 दिसम्बर, 2021;
3. सा.का.नि. 52(अ), तारीख 21 जनवरी, 2024; और
4. सा.का.नि. 382(अ), तारीख 12 जून, 2025

## MINISTRY OF MINES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

**G.S.R. 567(E).**— In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015, namely:—

**1. Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2.** In the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, after clause (d), the following clause shall be inserted, namely: —

“(da) “high purity Quartz” means Quartz having SiO<sub>2</sub> exceeding 99.99% with total impurities below 50 ppm;”.

**3.** In the said rules, in SCHEDULE-I, in Part-III, in the Table, under the column titled “Type of deposit and principal minerals”, —

(i) for the letters and words “**III. Gem-stones:** Beryl, topaz, emerald deposits, diamond, pockets/ lenses/ veins of fluorite in carbonatite, etc.”, the following letters, brackets and words shall be substituted, namely:—

“**III.** (a) Gem-stones: Beryl, topaz, emerald deposits, diamond, pockets/ lenses/ veins of fluorite in carbonatite, etc.;

(b) Quartz, Felspar and Mica in veins and pegmatites, not associated with the minerals specified in Part D of the First Schedule to the Act or the Seventh Schedule of the Act or high purity Quartz.”.

(ii) for the letters, words and brackets “**IIIA. Rare metal and Rare Earth Elements (REE) occurring in pegmatites, reefs and veins/ pipes.**”, the following letters, words and brackets shall be substituted, namely: —

“**IIIA.** (a) Rare metal and Rare Earth Elements (REE) occurring in pegmatites, reefs and veins/ pipes;

(b) Quartz, Felspar and Mica in veins and pegmatites associated with minerals specified in Part D of the First Schedule to the Act or the Seventh Schedule to the Act or high purity Quartz.”.

4. In the said rules, in Schedule-II, after serial number 1 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“2.	Quartz, Felspar, Mica	Pockets, lenses, veins and pegmatites and not associated with minerals specified in Part D of the First Schedule to the Act or the Seventh Schedule to the Act or high purity Quartz.”.
-----	--------------------------	---

[F. No. 16/118/2025-Mines VI]

KULVEER SINGH YADAV, Jt. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 304(E), dated the 17<sup>th</sup> April, 2015 and were subsequently amended as follows: —

1. G.S.R. 421 (E), dated the 18<sup>th</sup> June, 2021;
2. G.S.R. 856 (E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2021;
3. G.S.R. 52 (E), dated the 21<sup>st</sup> January, 2024; and
4. G.S.R. 382 (E), dated the 12<sup>th</sup> June, 2025.